आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर न्यायाधीश **नियमित वाद सं. 44/2023 ज्योति कटारिया विरूद्ध रूपेश सिंह (CIS No. 53/2023)**	संख्याक व दिनांक पत्र जो इस आदेश की पालना में निर्गमित हुए

07.01.2026

अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। इस आदेश द्वारा प्रतिवादी रूपेशसिंह की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 11 नियम 14 सि.प्र.सं. दिनांकित 8.8.2024 एवं वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 8 नियम 9 सपठित धारा 151 सि.प्र.सं. का निस्तारण किया जा रहा है। उक्त प्रार्थना पत्रों का विपक्षी की ओर से कोई लिखित जवाब पेश नहीं किया गया है। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रतिवादी पक्ष की ओर से दिनांक 8.8.2024 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 11 नियम 14 सि.प्र.सं. प्रस्तुत कर अभिव्यक्त किया गया है कि वादी के कथनानुसार प्रतिवादी को बैंक के माध्यम से राशि अंतरित की गई है, जिसका अंतरण प्रकार उधार बताया गया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राशि अंतरण के समय बैंक में दिए गए घोषणा पत्र में वादी द्वारा प्रतिवादी को अंतरित की जा रही राशि का प्रकार उपहार बताया गया है। उक्त घोषणा पत्र वाद के निस्तारण के लिए अहम सुसंगत दस्तावेज होना दर्शाकर वादी के बैंक पंजाब एंड सिंध बैंक शाखा खालसा कॉलेज, श्रीगंगानगर खाता सं. 07711000013340 दिनांक 17.2.2022 के अंतरण से संबंधित समस्त दस्तावेज तलब किए जाने का निवेदन किया।

वादी पक्ष की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का कोई लिखित उत्तर प्रस्तुत नहीं कर मौखिक विरोध किया गया।

पक्षकथनों पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादिया ने प्रतिवादी द्वारा दिनांक 17.2.2022 को पांच लाख रूपए उधार जरिए बैंक अंतरण प्राप्त करना दर्शाकर उक्त राशि मय ब्याज की वसूली हेतु वाद पेश किया है और उक्त राशि प्रतिवादी के बैंक खाता सं. 86490961 सन्तानदर बैंक पीएलसी, हाई स्ट्रीट, एसएल 1 डी एल स्लोह, यू.के.(सोर्ट कोड 09–01–28) में अंतरित होना दर्शाई गई है, जो अंतर्राष्ट्रीय राशि अंतरित होना कथन किया गया है और प्रतिवादी ने उक्त अंतरण का संवयवहार के संबंध में वादी द्वारा बैंक में प्रस्तुत घोषणा पत्र में उपहार होना बताया गया है। उक्त दस्तावेज प्रकरण के न्याय–निर्णय हेतु सुसंगत होना प्रकट होने से तलब किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रतिवादी रूपेशसिंह का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 11 नियम 14 सि.प्र.सं. **स्वीकार** किया जाकर वादी के बैंक पंजाब एंड सिंध

बैंक शाखा खालसा कॉलेज, श्रीगंगानगर को निर्देशित किया जाता है कि उनके यहां वादी के खाता सं. 07711000013340 में दिनांक 17.2.2022 के अंतरण से संबंधित घोषणा पत्र पेश किया गया हो, तो आगामी सुनवाई तिथि से पूर्व वह प्रलेख न्यायालय में पेश किया जावे, इस आशय का पत्र शाखा प्रबंधक को प्रेषित किया जावे।

प्रकरण में वादी पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत **आदेश 8 नियम 9 सि.प्र.सं.** पेश कर प्रतिवादी के वादोत्तर का प्रत्युत्तर (जवाबुलजवाब) पेश करने की अनुमति दिए जाने व जवाबुल जवाब अभिलेख पर लिए जाने का निवेदन किया है। प्रतिवादी पक्ष की ओर से इस प्रार्थना का कोई लिखित उत्तर प्रस्तुत नही किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत मूल वाद व प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत वादोत्तर में किए गए अभिकथनों के अवलोकन से जवाबुल जवाब को रिकॉर्ड पर लिया जाना प्रकरण के विधिपूर्ण निस्तारण के लिए आवश्यक है। अतः जवाबुल जवाब अभिलेख पर लिया जाता है।

प्रकरण में विवाद्यक कायम किए गए। पत्रावली पेश होने बैंक प्रलेख एवं साक्ष्य वादी हेतु दिनांक को पेश हो।

(रविन्द्र कुमार)